



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2026—फाल्गुन 27, शक 1947

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026

क्र.- एफ.19-34-2001-दो-सी-2.- मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 (क्रमांक 17 सन् 2001) की धारा 3 की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2024 की वैधता में और एक वर्ष की कालावधि की वृद्धि करती है, जिसके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके दो अग्र संगठन अर्थात् (1) क्रांतिकारी किसान कमेटी (के.के.सी) तथा (2) क्रांतिकारी जन कमेटी (के. जे.सी.) विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित किये गये थे.

यह अधिसूचना दिनांक 18 नवम्बर, 2025 से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीषा सेंतिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026

क्र.- एफ.19-34-2001-दो-सी-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषा सेंटिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th March 2026

F.No. 19-34/2001/II/C-2: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub section (4) of section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Kshetra Suraksha Adhiniyam, 2000 (No. 17 of 2001) the State Government, hereby, extend the validity of this department's notification of even number dated 25 January, 2024 for a further period of one year, whereby Communist Party of India (Maoist) and its two front organizations namely: (1) Krantikari Kisan Committee (K.K.C.) and (2) Krantikari Jan Committee (K.J.C.) were declared as unlawful Organization.

This Notification will remain in force for one year with effect from 18 November, 2025

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANISHA SENTIYA, Addl. Secy.